राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(72)ग्रावि/नरेगा/गोदाम निर्माण/2015 जयपुर, दिनांक : 2 MAY 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04.11.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स से अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इनमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानानुसार श्रम सामग्री अनुपात 60:40 संधारित किये जाने के उद्देश्य से परियोजना प्रस्तावों में पार्ट–अ में गोदाम/खाद्यान्न भण्डार केन्द्र भवन निर्माण कार्य तथा पार्ट–ब में भूमि के विकास कार्य यथा डिच–कम–बण्ड फैन्सिंग, भूमि समतलीकरण, पौधारोपण इत्यादि से सम्बन्धित कार्य लिए जाकर, प्रोजेक्ट मोड़ पर एक साथ स्वीकृति जारी कर, साथ–2 निर्माण कराने के निर्देश दिये गये थे।

कुछ जिलों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि यदि कन्वर्जेन्स के तहत श्रम सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करते हुए केवल गोदाम भवन निर्माण करवाया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में भी भूमि विकास कार्य, पौधा रोपण, डिच–कम–बण्ड फैन्सिंग, जल संरक्षण ढ़ांचे/सोकपिट इत्यादि कार्यों को करवाया जाना आवश्यक है क्या? इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनाज भण्डारण हेतु गोदाम भवन का निर्माण भूमि की उपलब्धता होने पर निम्न प्रकार करवाया जा सकता हैः–

1. प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 04.11.2015 में सुझाये अनुसार–
   (i) एक एकड़ जमीन में भवन निर्माण एवं शेष भूमि में भूमि विकास कार्य प्रोजेक्ट मोड़ पर गोदाम भवन निर्माण कार्य करवाया जावे। ।
   (ii) यदि एक एकड़ भूमि एक साथ उपलब्ध नहीं हो तो, भवन एवं भूमि विकास कार्यों हेतु अलग–2 स्थानों पर भूमि चिह्नीकरण कर प्रोजेक्ट मोड़ पर गोदाम भवन निर्माण कार्य करवाया जावे।
2. केवल गोदाम भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर–
   (i) ग्राम पंचायत के कार्यकारी एजेन्सी होने की स्थिति में कन्वर्जेन्स के तहत श्रम सामग्री अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित करते हुए गोदाम भवन निर्माण कार्य करवाया जावे।
   (ii) ग्राम पंचायत के अलावा अन्य संस्था के कार्यकारी एजेन्सी होने की स्थिति मे कन्वर्जेन्स के तहत श्रम सामग्री अनुपात 60:40 जिला स्तर पर संधारित करते हुए गोदाम भवन निर्माण कार्य करवाया जावे।

भवदीय,

28/4/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

C:\Users\Administrator\Desktop\Ltter.docx

PTO

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं परा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
5. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
9. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस